न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 05/2021
दायर दिनांकः 12.10.2021
निर्णय दिनांक 28.07.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, नरपत सिंह, वृताधिकारी वृत कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
— प्रार्थी

—:: बनाम ::—

श्री सोहनलाल पिता प्रताप जी खटीक निवासी माचड़ा थाना केलवाड़ा जिला राजसमन्द् वगैरा **— अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जब्त शुदा अवैध तरल पदार्थ 19,780 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किये जाने वाले से जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री प्रकाश बंजारा, अप्रार्थी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जब्त शुदा अवैध तरल पदार्थ 19,780 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किये जाने वाले से जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत निवेदन किया कि दिनांक 11.09.21 को प्रार्थी श्री रणजीतसिंह प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय राजसमन्द श्री सन्दीप माथुर द्वारा निर्देशित किया गया कि मैं राजकीय अवकाश पर हूं और आप मेरी अनुपस्थिति में ईन्जार्च आफिस हो आज पुलिस थाना केलवाड़ा की टीम ने नकली तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ केलवाडा थाना क्षेत्र में मिलने से एसएचओ केलवाडा से सम्पर्क कर मौके पर पहुंच कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत निर्देशित किया। जिस पर मैं रणजीतसिंह प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग राजसमन्द से रवाना हो केलवाडा थाना क्षेत्र के माचडा गांव के पास बोलियो की भागल एक बाडे पर पहुंचा जहां

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पर श्री नरपतसिंह जी डीवाईएसपी साहब वृत्त कुम्भलगढ़ मय जाप्ता मय अनुसंधान बॉक्स, प्रिंटर, लेपटॉप के व केलवाडा थाने का जाप्ता स्थित मिले। जिन्होने बताया कि मौके पर ही वाहन टैंकर नम्बर जी.जे. 11 टी.टी 4131 खडा है, जिसमें अवैध रासायनिक पेट्रोलियम तरल पदार्थ से भरे है व टैंकर के पास में ही सोहनलाल पिता प्रतापराम खटीक निवासी माचडा थाना केलवाड़ा के बाडे में अवैध रासायनिक पेट्रोलियम तरल पदार्थ से भरे ड्रम पडे हुये मिले। केलवाड़ा थाने के जाब्ते ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर आयी तब मौके पर 3 व्यक्ति टैंकर से रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ ड्रमों में भरते हुये नजर आये जो अन्धेरे का फायदा उठा बाडे की दूसरी ओर खेतों की तरफ भाग गये। बीट कानिस्टेबल श्री मुकेश कुमार नं 877 से उक्त तीनों फरार हुये व्यक्तियों के नाम पते मालूमात कर कमशः 1 सोहनलाल पिता प्रतापराम जाति खटीक उम्र 40 साल, 2 ललित पिता ईश्वरलाल खटीक उम्र 24 साल, 3 किशनलाल पिता मगनलाल खटीक उम्र 28 साल निवासीयान माचडा थाना केलवाडा जिला राजसमन्द होना बताया। मौके पर ओडा पेट्रोल पंप के प्रतिनिधी खुमाराम पिता राजूराम भील उम्र 30 साल निवासी आंतरी थाना केलवाडा जिला राजसमन्द तलबशुदा मय इन्वेशटीगेशन बॉक्स के उपस्थित हुआ। मुझ प्रर्वतन अधिकारी तलाशी व जब्ती के लिये सक्षम अधिकारी नहीं होने से स्वतंत्र मौतबीर 1 श्री रतनलाल पिता दौलाराम मेघवाल उम्र 53 साल निवासी उसर थाना केलवाडा हाल अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपला थाना केलवाडा एवं 2 श्री पप्पूलाल हैड कानि नं 294 को मौतबीर मामूर कर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक कुम्भलगढ श्री नरपतसिंह द्वारा मौके पर पड़े 34 ड्रम प्लास्टिक के भरे हुये एवं 5 ड्रम प्लास्टिक के खाली एंव 3 ड्रम लोहे के खाली मिले। टैंकर नम्बर जी.जे. 11 टी.टी 4131 में भरा रासायनिक पेट्रोलियम तरल पदार्थ एव 34 ड्रमों में भरे तरल पदार्थ अनुमानित रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ की वास्तविक मात्रा का सत्यापन विधिक माप संग्रहित पदार्थ की डेन्सीटी थर्मामीटर एवं हाईड्रो मीटर जार में करवाने हेतु मौके पर उपस्थित ओडा पट्रोल पम्प के प्रतिनिधी श्री खुमाराम भील से करवायी गई तो उक्त रासायनिक तरल पदार्थ की डेन्सीटी शून्य पायी गयी। अवैध रासायनिक पदार्थ पेट्रोल या डीजल न होकर अवैध केमिकल निकला। टैंकर में भरे रासायनिक तरल पदार्थ का माप किया गया तो कुल टैंकर की कुल भराव क्षमता 20 हजार लीटर हो टैंकर में 4 चेम्बर बने हो दो चेम्बर पूर्णतया भरे हो व शेष 2 चेम्बर आधे से कम मात्रा में भरे हुये पाये। इस प्रकार टैंकर में कुल 12300 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया एवं भेरे हुये कुल 34 ड्रमों की भराव क्षमता 220 लीटर हो प्रत्येक ड्रम पूरे भरे हुये हो 220–220 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। इस तरह ड्रमों में कुल 7480 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ व कुल 19,780 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। टैंकर के चारो चेम्बर एंव प्रत्येक भरे हुये ड्रम से एक प्लास्टिक की बाल्टी में सेम्पल हेतू अवैध रासायनिक पदार्थ निकाला गया। तथा बाल्टी में भरे रासायनिक पदार्थ को हिलाकर बाल्टी में से एक – एक लीटर के तीन सेम्पल एल्युमिनियम की बोतल में लेकर वायर से सील कर प्लास्टिक सील लगाकर एल्युमिनियम की बोतल को वूडन बॉक्स में डालकर वूडन बॉक्स पर सील लगाई गयी। तीनो सेम्पलों पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मार्क A, B, C अंकित किया गया। टैंकर मय भरे हुये भरे हुये 34 ड्रम व शेष 5 ड्रम प्लास्टिक के खाली, 3 ड्रम लोहे के खाली, एक प्लास्टिक की बाल्टी एंव करीब 15 फिट प्लास्टिक का पाईप आदि उपकरणों को वृत्ताधिकारी वृत्त कुम्भलगढ़ द्वारा फर्द जब्ती मुर्तिब की गयी। केलवाडा थाने के जाब्ते को पुलिस उप अधीक्षक कुम्भलगढ़ द्वारा जब्तशुदा अवैध तरल रासायनिक पदार्थ से भरे 34 ड्रम, टैंकर, 8 खाली ड्रम (5 प्लास्टिक व 3 लोहे के) एंव अन्य उपकरण व सैम्पल व फर्दात सुपूर्द किये गये। इस प्रकार टैंकर नम्बर जी.जे. 11 टी.टी 4131 में उक्त तीनो फरार मुल्जिमानों द्वारा अवैध रूप से अवैध रासायनिक पदार्थ बिना अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रख अवैध व्यापार करने एवं परिवहन करने से उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3, 7 के तहत जारी मोटर स्प्रीट व उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के 2 (क्यू) (आर), 3(4) (6) 4 व धारा 420,285 भादस का पाया जाता है। जब्तशुदा सामग्री वाहन सेम्पल एंव पुलिस जाब्ता के साथ थाने पर आया हूं। कानूनी कार्यवाही हेतू रिपोर्ट पेश है। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 153/21 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3/7 के तहत जारी मोटर स्प्रीट व उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के 2(क्यू) (आर), 3(4) (6), 4 व धारा 420, 285 भा द सं में दर्ज किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि टैंकर व ड्रमों में संग्रहित 19,780 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है। जो धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तिम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री प्रकाश बंजारा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। तथा प्रार्थी वाहन स्वामी प्रवीणसिंह पिता देवुभा झाला ने वाहन टैंकर संख्या जी जे 11 टी टी 4131 को प्रार्थी को सुपुर्दगी नामा व जमानत नामा पर सुपुर्द किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रकरण में वाहन स्वामी प्रवीणसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश बंजारा ने उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी से केलवाडा थाना क्षेत्र के माचडा गांव के पास बोलियो की भागल एक बाडे पर टैंकर नम्बर जी.जे. 11 टी.टी 4131, जिसमें अवैध रासायनिक पेट्रोलियम तरल पदार्थ से भरे था व टैंकर के पास में ही सोहनलाल पिता प्रतापराम खटीक निवासी माचडा थाना केलवाड़ा के बाडे में अवैध रासायनिक पेट्रोलियम तरल पदार्थ से भरे ड्रम पडे हुये मिले। जिनमें टैंकर में कुल 12300 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया एवं मेरे हुये कुल 34 ड्रमों की भराव क्षमता 220 लीटर हो प्रत्येक ड्रम पूरे भरे हुये हो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

220–220 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। इस तरह ड्रमों में कुल 7480 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ अर्थात कुल 19,780 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया। जिसे टेंकर व अवैध पट्रोलियम पदार्थ को जब्त सरकार किया गया। अतः टैंकर व ड्रमों में संग्रहित 19,780 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे। एवं जब्तशुदा वाहन टेंकर हेतु नियमानुसार कार्यवाही बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर कोई आपत्ती जाहिर नही की हैं। तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी नामा व जमानत नामा पर टेंकर वाहन मालिक को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। यहां यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग अवैध कार्यो में किया जा रहा था। तथा थानाधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0153/2021 का अध्ययन किया। एफआईआर के अनुसार अवैध रासायनिक पदार्थ जो कि पट्रोल या डीजल न होकर अवैध केमिकल पदार्थ पाया गया तथा इस टैंकर के पास सोहनलाल पिता प्रताप जी खटीक के बाड़े में अवैध रासायनिक पट्रोलियम तरल पदार्थ के भरे हुए 34 ड्रम मिले तथा टैंकर की कुल भराव क्षमता 20000 लीटर हो, टेंकर में कुल 4 चेम्बर बने होकर जिसमें 2 चेम्बर पूर्णतया भरे हुए तथा शेष 2 चेम्बर आधे से कम मात्रा में भरे हुए पाये गये। टेंकर में कुल 12300 लीटर एवं 34 ड्रमो में कुल 7480 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ इस प्रकार कुल 19780 लीटर अवैध रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया।

अतः यहां यह स्पष्ट रूप से जाहिर आया है कि क्षैत्र में अवैध पट्रोल व डीजल का व्यवसाय करने वालो का समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है। तथा अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री किया जाना न केवल मानव सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है अपितु इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अन्यथा उपयोग किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। यहां यह नहीं माना जा सकता है कि टेंकर के वाहन स्वामी को यह ज्ञान नहीं हो कि उसके वाहन में किस पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है जिस वाहन से वो आय प्राप्त कर रहा हो, उस वाहन में अवैध पदार्थो का परिवहन किया जा रहा हो, तो इसके लिए वाहन स्वामी को भी उस अपराध में उतना ही भागीदार माना जाता है तथा थानाधिकारी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में टेंकर व ड्रमों में सग्रहित 19780 लीटर तरल पेट्रोलियम पदार्थ व टेंकर दोनो को ही राजसात करने एवं उक्त तरल पदार्थ का अन्तिम निस्तारण (नष्ट) करने के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में टेंकर व 19780 लीटर तरल पेट्रोलियम पदार्थ दोनो को ही राजसात करना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी केलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि जिला रसद अधिकारी के साथ मिलकर उक्त तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की FSL रिपोर्ट आने के पश्चात यदि तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ निस्तारण योग्य पाया जाता है तो निस्तारण करवाया जावें। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा समस्त ड्रम, प्लास्टिक का पाइप एंव अन्य उपकरण का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

जब्तशुदा वाहन टेंकर का निस्तारण थानाधिकारी केलवाडा एवं जिला रसद अधिकारी जरिये नीलामी के नियमानुसार कार्यवाही कर राशि राजकोष में जमा करे। तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ और टेंकर के निस्तारण से पूर्व थानाधिकारी केलवाडा यह सुनिश्चित करे कि माननीय आपराधिक न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़े।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)